भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *35
24.07.2024 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड निधि में वृद्धि करना

*35. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भवन निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि और कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के दृष्टिगत, किसी संसद सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों और अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष पांच करोड़ रुपये की राशि बहुत कम होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों, विशेषकर तमिलनाडु के संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की मांग लगातार की जाती रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) की राशि बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को कभी कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लेने का विचार है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ड़) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

दिनांक 24 जुलाई, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *35 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) जी, हाँ । मंत्रालय ने देश के 216 जिलों में दिनांक 01-04-2014 से दिनांक 31-03-2019 की अवधि के दौरान पूरे किए गए एमपीलैड्स कार्यों का एक तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन किया था । यह मूल्यांकन वर्ष 2021 में किया गया और एजेंसी ने दिनांक 31-08-2021 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) से (ग) जी हाँ, वार्षिक एमपीलैड निधियों को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के सदस्यों सहित सांसदों से सुझाव प्राप्त हुए थे ।

(घ) से (ड़) योजना के लिए वर्ष 2025-26 तक मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जा चुकी है । योजना की निर्धारित लागत में 20% से अधिक की किसी भी प्रकार की वृद्धि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी है । मंत्रालय तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा की विधिवत् प्रक्रिया का अनुसरण करके, हितधारकों के साथ चर्चा करके और माननीय सांसदों से समय-समय पर प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए योजना की विस्तार अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 के पूरा होने से पहले प्रस्ताव की जाँच करेगा ।

*****